

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) बी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से संबंधित 17 बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्वघोषणा :-

1-संगठन का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य :-

(क) संगठन का विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15-2(2)-2003 टी.सी.-IV दिनांक 14 सितम्बर, 2005 से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग नाम के निकाय का गठन किया गया जिसका कार्यालय "आरटीआई भवन" 7/7/ए, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित है।

उ0 प्र0 सूचना आयोग का नया भवन लखनऊ के विकसित इलाके गोमती नगर के विभूति खण्ड में "आर.टी.आई. भवन" के नाम से अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। वर्तमान में श्री जावेद उस्मानी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं तथा श्री अरविन्द सिंह बिष्ट, श्री विजय शंकर शर्मा, श्री पारसनाथ गुप्ता, श्री स्वदेश कुमार, श्री सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी, श्री हाफिज उस्मान, श्री राजकेश्वर सिंह, तथा श्री गजेन्द्र यादव राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमती खदीजातुल कुबरा जून, 2011 से जून, 2016 तक राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 सूचना आयोग के मूल शासकीय विभाग के रूप में कार्य करता है, आयोग में आवश्यक पदों के सृजन एवं आवश्यक बजट की स्वीकृति आदि से सम्बन्धित कार्य प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा 6 में यथा प्राविधानित आयोग के कार्यकरण एवं कृत्यों के दक्ष पालन हेतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं दस राज्य सूचना आयुक्तों सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अब तक 184 पदों का शासन द्वारा सृजन किया गया है, जिनमें से भरे हुए और रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार है:-

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्तगण के पदों का विवरण

क्र० सं०	पद नाम	कुल स्वीकृत पद	सृजित पदों के सापेक्ष कुल भरे पदों की संख्या
1	2	5	6
1.	मुख्य सूचना आयुक्त	1	1
2.	राज्य सूचना आयुक्त	10	8
<u>अधिकारी संवर्ग</u>			
क्र० सं०	पद नाम	कुल स्वीकृत पद	सृजित पदों के सापेक्ष कुल भरे पदों की संख्या
3.	सचिव	1	1
4.	विधि अधिकारी	1	1
5.	संयुक्त रजिस्ट्रार	1	1
6.	उप रजिस्ट्रार	1	1
7.	उपसचिव	1	1
8.	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1
	शोध अधिकारी	2	2

कर्मचारी संवर्ग			
क्रम सं०	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी
1	2	6	5
1.	प्रशासनिक अधिकारी	01	—
2.	प्रधान सहायक	06	06
3.	वरिष्ठ सहायक	12	12
4.	कनिष्ठ सहायक	37	37
5.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	06	03
6.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	13	13
7.	आशुलिपिक	18	18
8.	लेखाकार	01	—
9.	सहायक लेखाकार	01	01
10.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	01	—
11.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-2	01	01
12.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-सी	01	01
13.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-बी	01	01
14.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-ए	03	03
15.	उर्दू अनुवादक	01	—
16.	वाहन चालक विशेष श्रेणी	01	01
17.	वाहन चालक ग्रेड-1	02	02
18.	वाहन चालक ग्रेड-2	03	03
19.	वाहन चालक ग्रेड-3	04	04
20.	वाहन चालक ग्रेड-4	04	04
21.	जमादार/अर्दली	02	—
22.	दपतरी	01	01
23.	अनुसेवक	38	35
24.	फर्राश	02	01
25.	सफाई कर्मी	02	02
26.	बण्डल लिफ्टर	03	01
	कुल योग	165	151

(ख) संगठन के कार्य

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन एवं मुख्यालय की स्थापना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं (7) के अंतर्गत किया गया है। आयोग के मुख्य कृत्य निम्नवत् है—

(1) उ0प्र0 सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करें:—

(क) जो, जन सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है या सहायक जनसूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन, सूचना या अपील के लिए आवेदन को जनसूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी या उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को भेजने के लिए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया है,

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुँच के लिए इन्कार कर दिया गया है,

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है,

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गयी है, जो वह अनुचित समझता है,

(ङ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गयी है, और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के अन्तर्गत उ0प्र0 सूचना आयोग द्वितीय अपील सुनने के लिए प्रदेश स्तर की सर्वोच्च संस्था है यदि किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन का निस्तारण

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नहीं किया गया है या वह व्यक्ति आवेदन के निस्तारण में किए गए विलम्ब या दिए गए निर्णय से क्षुब्ध है तो वह 30 दिन के भीतर उसी लोक प्राधिकरण के प्राधिकृत प्रथम अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है, यदि अपीलार्थी की समस्या का समाधान हो जाता है तो उसे आयोग के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि अपीलार्थी प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है या उसकी अपील किन्हीं कारणों से निरस्त कर दी गयी है या उसे अपील के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय निर्धारित अवधि सीमा में प्राप्त नहीं हुआ है तो वह द्वितीय अपील उ०प्र० सूचना आयोग को उस तारीख से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा, जिस तारीख को विनिश्चय प्राप्त हो या होना चाहिए। उ०प्र० सूचना आयोग 90 दिन की कालअवधि बीतने के बाद भी द्वितीय अपील सुनवाई हेतु स्वीकार कर सकेगा जब उसे यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विवश रहा है ।

उ०प्र० सूचना आयोग के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध का कार्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सम्पादित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य सूचना आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अन्तर्गत ऐसी शक्तियों का प्रयोग जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्याधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से की जाए या की जा सकती है ।

(ग) संगठन के कर्तव्य

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानानुसार उ०प्र० सूचना आयोग शिकायतकर्ताओं तथा अपीलकर्ताओं को समुचित सूचना दिलाने हेतु उनसे शिकायतें एवं अपीलें प्राप्त करता है तथा अधिनियम के प्राविधानानुसार उन पर सुनवायी करते हुए निर्णय देता है। आयोग यह भी सुनिश्चित करता है कि लोक प्राधिकरणों से अधिनियम के प्राविधानानुसार नागरिकों को वांछित सूचनाएं प्राप्त हों। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग विभिन्न लोक प्राधिकारियों से भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान में प्रख्यापित पारदर्शी कृत्यों का लक्ष्य प्राप्त कराता है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसकी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेजी जाती है । ऐसी रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित हैं :-

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किए गए अनुरोधों की संख्या,

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए पात्र नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबन्ध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबन्धों का अवलम्ब लिया गया था,

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, उ0प्र0 सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों के स्वरूप और अपीलों के निष्कर्ष,

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां,

(ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम,

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को ग्रहण कराने या कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकरणों के प्रयास को उपदर्शित करते हैं,

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, अभिवृद्धि आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकरणों की बाबत सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी है ।

(2) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:—

(क) उ0प्र0 सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तगण तथा अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निम्न प्रकार हैं:—

क्रमांक	पद नाम	शक्तियाँ एवं कर्तव्य
1	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अन्तर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन, और प्रबन्धन का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 18 एवं 19 अन्तर्गत शिकायत एवं द्वितीय अपीलों की जाँच तथा सुनवाई करना एवं अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत जनसूचनाधिकारीगण पर अर्थदण्ड

		अधिरोपित करना ।
2	राज्य सूचना आयुक्त	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्य का निर्वहन करना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 एवं 19 के संबंध में शिकायत एवं द्वितीय अपील पर जाँच तथा सुनवाई करना एवं अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत जनसूचनाधिकारीगण पर अर्थदण्ड अधिरोपित करना ।
3	सचिव	<p>(1) मुख्य सूचना आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन आयोग का सचिव आयोग के प्रशासनिक कार्यकरण के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी हैं ।</p> <p>(2) मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देशाधीन, सचिव द्वारा आयोग की बैठक बुलाई जाती है, बैठक की कार्यसूची की टिप्पणी तैयार की जाती है, बैठक की कार्यवृत्त तैयार की जाती है और ऐसी बैठक में आयोग द्वारा लिए गए विनिश्चय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है ।</p> <p>(3) सचिव द्वारा आयोग का बजट तैयार किया जाता है और मुख्य सूचना आयुक्त की सहमति से उसे सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वित्तीय नियमों और बजट के प्राविधानों के अनुसार व्यय किया जाए ।</p> <p>(4) सचिव आयोग के कार्यालय के समुचित कार्यकरण और उसके अन्दर मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं और वह उस निमित्त समस्त आवश्यक शक्तियां रखते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं ।</p> <p>(5) रजिस्ट्रार के कृत्यों से संबंधित समस्त मामलों के अतिरिक्त आयोग के समस्त पत्राचार आयोग के</p>

		<p>सचिव (अथवा संयुक्त/उप सचिव) के हस्ताक्षर से किये जाते हैं ।</p> <p>(6) सचिव समस्त ऐसे न्यायिक मामलों में जहां आयोग एक पक्ष है, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं ।</p> <p>(7) सचिव आयोग के प्रशासनिक कार्यकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों की समुचित अभिरक्षा और उनके रख-रखाव का पर्यवेक्षण करते हैं और विहित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अभिलेखों का आवधिक विनष्टीकरण सुनिश्चित करते हैं ।</p> <p>(8) सचिव आयोग से संबंधित मामलों के कार्यकरण के लिए सरकार और विभागीय प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखते हैं ।</p> <p>(9) प्रथम अपीलीय अधिकारी उ0प्र0 सूचना आयोग ।</p>
4	विधि अधिकारी पदेन रजिस्ट्रार	<p>आयोग के विधि अधिकारी आयोग के पदेन रजिस्ट्रार हैं जिनके द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाते हैं ।</p> <p>(1) आयोग के विभिन्न मामलों में विधिक राय देना ।</p> <p>(2) आयोग के रजिस्ट्रार, आयोग में योजित होने वाली प्रत्येक शिकायत, अपील, लिखित कथन, आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज का अधिनियम/नियमावली/ न्यायालय आदेशों के आलोक में परीक्षण करते हैं ।</p> <p>(3) आयोग में योजित किसी शिकायत में परिशिष्ट 1 में उल्लिखित विवरण अवश्य होना चाहिये । इसी प्रकार आयोग में योजित किसी अपील में</p>

	<p>परिशिष्ट-2 में दिया गया विवरण अवश्य होना चाहिए ।</p> <p>(4) यदि किसी शिकायत के परीक्षण के उपरान्त रजिस्ट्रार यह पाते हैं कि शिकायत में परिशिष्ट-1 में वर्णित कतिपय बिन्दुओं से संबंधित विवरण नहीं हैं, तो इस प्रकार पायी गयी कमियों को इंगित करते हुये रजिस्ट्रार उक्त शिकायत को शिकायतकर्ता को इस परामर्श के साथ वापिस कर देंगे कि शिकायतकर्ता उक्त कमियों को दूर करने के उपरान्त शिकायत पुनः आयोग में प्रस्तुत करें ।</p> <p>(5) इसी प्रकार यदि किसी अपील के परीक्षण के उपरान्त रजिस्ट्रार यह पाये कि अपील में परिशिष्ट-2 में वर्णित कतिपय बिन्दुओं से संबंधित विवरण नहीं है, तो इस प्रकार पायी गयी कमियों को इंगित करते हुये रजिस्ट्रार उक्त अपील को अपीलकर्ता को इस परामर्श के साथ वापिस कर देंगे कि अपीलकर्ता उक्त कमियों को दूर करने के उपरान्त अपील पुनः आयोग में प्रस्तुत करें ।</p> <p>(6) यदि किसी शिकायत के परीक्षण के उपरान्त रजिस्ट्रार यह पाता है कि शिकायत में परिशिष्ट-1 के अनुसार सभी विवरण उपलब्ध हैं व शिकायत सभी प्रकार से पंजीकरण योग्य है, तो वह शिकायत को संख्याकित कराते हुये उसका विवरण रजिस्टर में दर्ज कराने के उपरान्त शिकायत को प्रश्नगत मामले में अधिकारिता रखने वाले सूचना आयुक्त को अग्रेषित कर देते है ।</p> <p>(7) इसी प्रकार यदि अपील के परीक्षण के उपरान्त रजिस्ट्रार यह पाता है कि अपील में परिशिष्ट-2 के अनुसार सभी विवरण उपलब्ध है व अपील सभी प्रकार से पंजीकरण योग्य है, तो वह अपील को संख्यांकित कराते हुए उसका विवरण रजिस्टर में</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>दर्ज कराने के उपरान्त, अपील को प्रश्नगत मामले में अधिकारिता रखने वाले सूचना आयुक्त को अग्रेषित कर देते हैं।</p> <p>(8) यदि किसी अपील के परीक्षण के उपरान्त रजिस्ट्रार यह पाते हैं कि अपील सभी प्रकार से पंजीकरण योग्य है किन्तु निर्धारित अवधि सीमा के बाद दायर की गयी है तो उक्त अपील को संख्याकित करने व रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त प्रश्न गत मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले सूचना आयुक्त को इस आशय से अग्रेषित करते हैं कि पीठ द्वारा सर्वप्रथम अपील पर विलम्ब माफी देने या न देने के बारे में यथोचित निर्णय लिया जाये ।</p> <p>(9) यदि आयोग में कोई ऐसा अभिलेख प्राप्त होता है जो पूर्व में पंजीकृत किसी शिकायत या अपील से सम्बन्धित है, तो इस अभिलेख को परीक्षणोपरान्त रजिस्ट्रार उस सूचना आयुक्त को अग्रेषित कर देते हैं जिसके द्वारा उक्त पूर्व पंजीकृत शिकायत या अपील की सुसंगत पत्रावली पर रखते हुये यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।</p> <p>(10) यदि आयोग में कोई ऐसा अभिलेख प्राप्त होता है जो न तो नई शिकायत या अपील है और न ही किसी पूर्व पंजीकृत शिकायत या अपील से सम्बन्धित है, तो रजिस्ट्रार उक्त अभिलेख को परीक्षणोपरान्त उस अधिकारी या अनुभाग को अग्रेषित कर देते हैं जिसके द्वारा, रजिस्ट्रार के मतानुसार, उक्त अभिलेख पर वांछित कार्यवाही की जानी है ।</p> <p>(11) आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.	संयुक्त रजिस्ट्रार	<p>मुख्य सूचना आयुक्त तथा रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों के तहत कार्य करना।</p> <p>वर्तमान में प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार, प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि अनुभाग, प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अपडेशन तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत पर्यवेक्षण एवं रिपोर्ट तैयार करने का कार्य संपादित किया जा रहा है।</p>
6.	उप रजिस्ट्रार	<p>मुख्य सूचना आयुक्त तथा रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों के तहत कार्य करना। उप रजिस्ट्रार को शासित वसूली, त्रुटिपूर्ण डाक वापसी तथा रजिस्ट्री का प्रभार सौंपा गया।</p> <p>वर्तमान में पद रिक्त है।</p>
7.	वित्त एवं लेखाधिकारी	(1) आयोग के समस्त वित्तीय मामलों से संबंधित कार्य।
8.	उप सचिव	<p>(1) सचिव के सहायक के रूप में।</p> <p>(2) प्रभारी अधिकारी नजारत एवं प्रोटोकॉल।</p> <p>(3) जन सूचना अधिकारी उ0प्र0 सूचना आयोग।</p>
9.	शोध अधिकारी	आयोग में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आवेदनों एवं कागजात का परीक्षण एवं शोध करके उनका वर्गीकरण करना।

(ख) उ०प्र० सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य कार्य आवंटन निम्नवत् किया गया है :-

आयुक्त का नाम	मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
श्री जावेद उस्मानी, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त		<p>1- राज्यपाल सचिवालय । 2- मुख्यमंत्री कार्यालय एवं लोक शिकायत विभाग । 3-मुख्य सचिव कार्यालय । 4-गृह विभाग । 5-प्रशासनिक सुधार विभाग । 6-नियुक्ति विभाग । 7-कार्मिक विभाग । 8-चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग । 9-न्याय विभाग । 10-वित्त विभाग । 11-गोपन विभाग । 12-नियोजन विभाग । 13-नागरिक उड्डयन विभाग । 14-वे विभाग जो अन्य किसी राज्य सूचना आयुक्त को आवंटित नहीं है ।</p> <p>उपर्युक्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों/संस्थाओं से संबंधित शिकायतों व अपीलों पर भी सुनवाई की जायेगी :</p>

		<p>1-लोक सेवा आयोग ।</p> <p>2-लोकायुक्त कार्यालय ।</p> <p>3-अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ।</p> <p>4-राज्य सूचना आयोग ।</p> <p>5-मा0 उच्च न्यायालय, समस्त जनपद न्यायाधीश व अधीनस्थ न्यायालय ।</p>
श्री अरविन्द सिंह बिष्ट, राज्य सूचना आयुक्त	<p><u>लखनऊ मण्डल</u></p> <p>1-लखनऊ</p> <p>2-सीतापुर</p> <p>3-हरदोई</p> <p>4-रायबरेली</p> <p>5-उन्नाव</p> <p>6-लखीमपुर खीरी</p> <p><u>चित्रकूट मण्डल</u></p> <p>1.बांदा</p> <p>2.चित्रकूट</p> <p>3.हमीरपुर</p> <p>4.महोबा</p>	<p>1-उच्च शिक्षा विभाग ।</p> <p>2-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।</p> <p>3-पर्यावरण विभाग ।</p> <p>4-सतर्कता विभाग ।</p> <p>5-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ।</p> <p>6-कृषि विभाग ।</p> <p>7-नागरिक सुरक्षा विभाग ।</p> <p>8-समग्र ग्राम्य विकास विभाग ।</p> <p>9-उपभोक्ता संरक्षण एवं बांटमाप विभाग ।</p> <p>10- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।</p>
श्री विजय शंकर शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त	<p><u>कानपुर मण्डल</u></p> <p>1-कानपुर नगर</p> <p>2-कानपुर देहात</p>	<p>1-लोक निर्माण विभाग ।</p> <p>2-रेशम विकास विभाग ।</p> <p>3-युवा कल्याण विभाग ।</p>

	<p>3-औरैया 4-इटावा 5-फर्रुखाबाद 6-कन्नौज बरेलीमण्डल 1.बरेली 2. पीलीभीत 3.शाहजहाँपुर 4.बदायूँ</p>	<p>4-विकलांग जन विकास विभाग । 5-ग्राम्य विकास विभाग । 6-वाह्य सहायतित परियोजना विभाग । 7-राज्य सम्पत्ति विभाग । 8-भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग । 9-परती भूमि विकास विभाग । 10- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।</p>
<p>श्री पारस नाथ गुप्ता राज्य सूचना आयुक्त</p>	<p>वाराणसी मण्डल 1- वाराणसी 2- चन्दौली 3- गाजीपुर 4- जौनपुर आजमगढ़ मण्डल 1-आजमगढ़ 2-बलिया 3-मऊ इलाहाबाद मण्डल 1- इलाहाबाद 2- कौशाम्बी</p>	<p>1-माध्यमिक शिक्षा विभाग । 2-संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग । 3-राजनैतिक पेंशन विभाग । 4-पशुधन विभाग । 5-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग । 6-निर्वाचन विभाग । 7-विधायी विभाग । 8-संसदीय कार्य विभाग (विधानसभा सचिवालय एवं विधान परिषद सचिवालय सहित) । 9-होमगार्ड्स विभाग । 10- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।</p>

	3- प्रतापगढ़ 4- फतेहपुर	
श्री स्वदेश कुमार, राज्य सूचना आयुक्त	<u>फैजाबाद मण्डल</u> 1-फैजाबाद 2-बाराबंकी 3-अम्बेडकर नगर 4-सुल्तानपुर 5-अमेठी <u>देवीपाटन मण्डल</u> 1-गोण्डा 2-श्रावस्ती 3-बलरामपुर 4-बहराइच	1-ऊर्जा विभाग । 2-कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग । 3-कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग । 4-आबकारी विभाग । 5-चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग । 6-नगर विकास । 7- खाद्य एवं रसद विभाग । 8-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग । 9-नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग । 10-धर्मार्थ कार्य विभाग 11-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग 12- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्री सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी, राज्य सूचना आयुक्त	<u>गोरखपुर मण्डल</u> 1- गोरखपुर 2- देवरिया 3- कुशीनगर 4- महाराजगंज <u>अलीगढ़ मण्डल</u> 1- अलीगढ़	1-पर्यटन विभाग । 2-परिवहन विभाग । 3- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग । 4- वस्त्रोद्योग विभाग । 5- सार्वजनिक उद्यम विभाग । 6- अवस्थापना विकास विभाग । 7- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

	2- हाथरस 3- एटा 4- कासगंज	8-सैनिक कल्याण विभाग । 9-उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग । 10-प्राविधिक शिक्षा विभाग 11-प्रोटोकाल विभाग 12- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्री हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त	<u>सहारनपुर मण्डल</u> 1-सहारनपुर 2-मुजफ्फरनगर 3-शामली <u>मुरादाबाद मण्डल</u> 1- मुरादाबाद 2- अमरोहा 3- बिजनौर 4- रामपुर 5- सम्भल	1- वन विभाग । 2- खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग । 3- खेल विभाग । 4- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग । 5- दुग्ध विकास विभाग । 6-अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग । 7- समन्वय विभाग । 8-सूचना विभाग । 9-एन0आर0आई0 विभाग । 10-भाषा विभाग 11-संस्कृति विभाग 12- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।
श्री राजकेश्वर सिंह राज्य सूचना आयुक्त	<u>मेरठ मण्डल</u> 1- मेरठ 2- गाजियाबाद	1-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग । 2-सचिवालय प्रशासन विभाग । 3-सामान्य प्रशासन विभाग ।

	<p>3-गौतमबुद्धनगर 4-बुलन्दशहर 5-बागपत 6-हापुड़</p> <p><u>बस्ती मण्डल</u></p> <p>1-बस्ती 2-संतकबीरनगर 3-सिद्धार्थनगर</p>	<p>4-कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग । 5-औद्योगिक विकास विभाग । 6-सहकारिता विभाग । 7-श्रम विभाग । 8-खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग । 9-व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग । 10-निजी पूँजी निवेश विभाग 11-लोक सेवा प्रबन्धन विभाग 12- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।</p>
<p>श्री गजेन्द्र यादव राज्य सूचना आयुक्त</p>	<p><u>आगरा मण्डल</u></p> <p>1- आगरा 2- मथुरा 3- फिरोजाबाद 4- मैनपुरी</p> <p><u>झाँसी मण्डल</u></p> <p>1- झाँसी 2- ललितपुर 3- जालौन</p> <p><u>मिर्जापुर मण्डल</u></p> <p>1- मिर्जापुर 2- भदोही</p>	<p>1-लघु सिंचाई विभाग । 2-राजस्व विभाग । 3-महिला एवं बाल विकास विभाग । 4- मत्स्य विभाग । 5-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग । 6-समाज कल्याण विभाग । 7-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग । 8-बेसिक शिक्षा विभाग । 9-पंचायती राज विभाग । 10-कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 11- अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये ।</p>

	3- सोनभद्र	
--	------------	--

नोट -

- 1- उ०प्र० शासन के किसी विभाग के अधीन कार्यरत निदेशालय/आयुक्त कार्यालय/परिषद/आयोग/संस्थान/परियोजना/निगम के मुख्यालय से सम्बन्धित शिकायत या अपील पर उन्हीं सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई की जायेगी, जिन्हें वह विभाग आवंटित किया गया है।
- 2- उ०प्र० शासन के किसी विभाग से सम्बन्धित किसी क्षेत्रीय, मण्डलीय या जनपद स्तरीय कार्यालय से सम्बन्धित शिकायत या अपील पर सुनवाई उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा की जायेगी, जिन्हें वह जनपद आवंटित है जहाँ उक्त क्षेत्रीय, मण्डलीय या जनपद स्तरीय कार्यालय आवंटित है।
- 3- नगरीय व ग्रामीण स्थानीय निकायों व नगरीय विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धित शिकायत या अपील उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सुनी जायेगी, जिन्हें वह जनपद आवंटित है जहाँ प्रश्नगत स्थानीय निकाय या नगरीय विकास प्राधिकरण स्थित है।
- 4- पुनर्स्थापना, पुनरीक्षण तथा आदेश वापसी सम्बन्धी आवेदन पर सुनवाई उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा की जायेगी, जिन्होंने आदेश पारित किया है। यदि आदेश पारित करने वाले राज्य सूचना आयुक्त अब सेवा में नहीं है, तो वह राज्य सूचना आयुक्त इस आवेदन पर सुनवाई करेंगे, जिन्हें प्रश्नगत विभाग या जनपद आवंटित है।

(3) विनिश्चय में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम

:-

उ०प्र० सूचना आयोग मुख्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत आवेदकों को वांछित सूचनाएं दिलाने के कर्तव्य का निर्वहन करता है। जिन आवेदकों को जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन करने पर वांछित सूचनाएं नहीं प्राप्त होती, वे आयोग के कार्यालय में शिकायत अथवा द्वितीय अपील के रूप में अपने आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदक अपने आवेदन आयोग के कार्यालय में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा साधारण डाक से भेज सकते हैं अथवा आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी प्रकार के आवेदन आयोग के कार्यालय में प्राप्त

होने पर उनकी विधवत जांच आयोग के रजिस्ट्री द्वारा की जाती है एवं चेकलिस्ट तैयार की जाती है। रजिस्ट्री स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों में जांच के उपरान्त यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे इंगित करते हुए आवेदक को त्रुटि दूर करने के परामर्श के साथ वापस कर दी जाती है और सभी प्रकार से पूर्ण शिकायत/अपील कम्प्यूटर में फीड किया जाता है डाक प्राप्ति संख्या डाल दी जाती है। प्रदेश के सभी जिले और सरकार के सभी विभाग आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सभी सूचना आयुक्तों के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 12.08.2015 को किये गये कार्य विभाजन के अनुसार बॉट दिये गये हैं अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी मामले में जांच करते समय आयोग को मुख्यतया वही शक्तियां प्राप्त होगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है। जैसा कि अधिनियम की धारा 18 (3) में स्पष्ट उल्लिखित है, जो निम्नवत् है:-

“18(3)—केंद्रीय सूचना अयोग या राज्य सूचना आयोग को इस धारा के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अन्तर्गत किसी वाद के विचारण के लिए सिविल न्यायालय में दिये गये समस्त अधिकार किसी मामले की जाँच करते समय प्राप्त होंगे—

(क) संबंधित व्यक्तियों को सम्मन करना, उसे प्रस्तुत कराना, सशपथ मौखिक या लिखित गवाही देने और अभिलेखों या वस्तुओं के प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना,

(ख) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण एवं निरीक्षण किया जाना,

(ग) शपथ—पत्र पर साक्ष्य दिया जाना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज या उसकी प्रतियाँ मंगाना,

(ङ) गवाहों या अभिलेखों की परीक्षा हेतु सम्मन जारी किया जाना, और

(च) कोई अन्य विषय जो सुनिश्चित हो”।

पूर्वोक्त विधि से अपनायी गयी प्रक्रिया द्वारा जाँच की कार्यवाही पूर्ण होने पर आयोग विनिश्चय करता है। अन्तिम विनिश्चय की सत्य प्रतियाँ आवेदक एवं प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार मांगे जाने पर निःशुल्क प्रदान की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अन्तर्गत आयोग 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जन सूचना अधिकारी पर दण्ड आरोपित कर सकता है परन्तु यह

अर्थदण्ड कुल 25,000 रूपये से ज्यादा नहीं होगा। इसके साथ-साथ आयोग उक्त अधिनियम की धारा 20(2) के अन्तर्गत उन पर अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति भी कर सकता है। साथ ही आवेदक/परिवादी को होने वाली हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति भी लोक प्राधिकरण से करा सकता है।

(4) कार्यों को संपादित करने के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक:—उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों के निस्तारण सम्बन्धी कार्य किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मानक के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है।

(5) आयोग के अधीन अथवा आयोग के नियंत्रण में या आयोग के कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लागू नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका एवं दस्तावेज:—

उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-27 के तहत उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गयी है। उ0प्र0 सूचना आयोग इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्य करता है। इस नियमावली की प्रति संलग्न है।

(6) ऐसे अभिलेखों का विवरण जो आयोग के द्वारा रखे जाते हैं या आयोग के नियंत्रण में है:—

(क) लेखा अनुभाग में प्रयोग होने वाले रजिस्टर

- (1) ट्रेजरी रजिस्टर
- (2) 11-सी रजिस्टर
- (3) सैलरी बिल रजिस्टर
- (4) बजट रजिस्टर
- (5) दण्ड रजिस्टर
- (6) आवा-गमन रजिस्टर
- (7) कैश बुक रजिस्टर
- (8) कन्टीजेन्सी रजिस्टर
- (9) पेट्रोल/टेलीफोन रजिस्टर

(ख) अधिष्ठान अनुभाग-आउटसोर्सिंग उपस्थिति पंजिका (बायोमेट्रिक विधि द्वारा)

(ग) रजिस्ट्री अनुभाग में प्रयोग होने वाले रजिस्टर

- (1) उपस्थिति पंजिका-एक (बायोमेट्रिक विधि द्वारा)
- (2) डाक प्राप्ति रजिस्टर-एक
- (3) डाक संवीक्षा पटल रजिस्टर-चार

- (4) पूर्ण अपील/शिकायत फीडिंग पटल रजिस्टर—दो
- (5) त्रुटिपूर्ण अपील/शिकायत फीडिंग पटल रजिस्टर – एक
- (6) अपील/शिकायत से सम्बन्धित डाक फीडिंग पटल रजिस्टर—दो
- (7) अपील/शिकायत सुनवाई कक्षा में प्रेषण रजिस्टर
- (8) त्रुटिपूर्ण अपील/शिकायत वापसी डाक डिस्पैच रजिस्टर
- (9) अपील/शिकायत से सम्बन्धित डाक सुनवाई कक्षाओं में प्रेषण रजिस्टर
- (10) विभिन्न कार्यालयों में डाक प्रेषण रजिस्टर
- (11) मा0 मुख्य सूचना आयुक्त/सचिव/विधि अधिकारी/रजिस्ट्रार/उपसचिव जनसूचना मा0 उच्च न्यायालय से सम्बन्धित डाक विभिन्न सुनवाई कक्षाओं में प्रेषण रजिस्टर।
- (12) सचिव कार्यालय से सम्बन्धित डाक बही रजिस्टर

(घ) सुनवाई कक्षाओं में प्रयोग होने वाले रजिस्टर

- (1) अपील दर्ज रजिस्टर
- (2) शिकायत दर्ज रजिस्टर
- (3) डाक रिटर्न रजिस्टर
- (4) पत्रावली स्थानान्तरण रजिस्टर
- (5) डाक डिस्पैच रजिस्टर
- (6) नकल रजिस्टर
- (7) दण्ड रजिस्टर
- (8) हाईकोर्ट रजिस्टर
- (9) वीड आउट रजिस्टर
- (10) पुर्नस्थापना रजिस्टर
- (11) मा0 सूचना आयुक्त के नाम से प्राप्त डाक पंजिका

(च) नजारत अनुभाग में प्रयोग होने वाले रजिस्टर

- (1) स्टॉक रजिस्टर
- (2) डाक डिसपैच रजिस्टर

(छ) जन सूचना अनुभाग में प्रयोग होने वाले रजिस्टर

- (1) आर0टी0आई0/आवेदन प्राप्त पंजिका
- (2) डाक डिसपैच रजिस्टर

(ज) शास्ति वसूली से सम्बन्धित रजिस्टर

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अधीन अधिरोपित शास्तियों का रजिस्टर
 - (2) डाक बही रजिस्टर
 - (3) डिसपैच रजिस्टर
- (7) किसी व्यवस्था का विवरण जो किसी नीति के गठन या उसके कार्यान्वयन हेतु जन प्रतिनिधियों के साथ या उनके परामर्श द्वारा व्यवहृत की जाती हो :-

आयोग का कार्य भारत के नागरिकों को लोक प्राधिकरणों से सूचना प्रदान कराया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा समय-समय पर सामान्य जनता को अकेले अथवा समूहों में किसी विशेष बात पर विचार करने के लिए या अपना दृष्टिकोण आयोग के समक्ष रखने का अवसर देने हेतु गोष्ठी एवं सम्मेलनों के माध्यम से अवसर प्रदान किया जाता है।

- (8) उन बोर्डों, परिषदों, सभाओं एवं अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या उससे अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जिनका गठन भागीदारी के रूप में यह सलाह देने के लिए किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं निकायों की बैठकें नागरिकों के लिए सुलभ होगी अथवा ऐसी बैठकों के विवरण तक जन सामान्य हेतु सुलभ है:

उ0प्र0 सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्राविधानों के अंतर्गत हुआ है। आयोग में ऐसे किसी बोर्ड, परिषद अथवा समिति अथवा किसी निकाय का गठन नहीं किया गया है। तथापि गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों के साथ विचार-विमर्श और बैठकों की अनौपचारिक प्रक्रिया अपनायी जाती है।

(9) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका:-

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, सभी सूचना आयुक्तों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा बनायी गयी है, जो यथारूप दी जा रही है:-

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, निर्देशिका:-

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष	निवास का पता
1	श्री जावेद उस्मानी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	आफिस नं०-0522-2724950	17, गौतमपल्ली, लखनऊ ।
2	श्री अरविन्द सिंह बिष्ट राज्य सूचना आयुक्त	आफिस नं०-0522-2724932 मो० नं०-94150201777	31 गुलिस्तां कालोनी, लखनऊ
3	श्री विजय शंकर शर्मा राज्य सूचना आयुक्त	आफिस नं०-0522-2724933 मो० नं०-09335322739	37-राज भवन, कालोनी, लखनऊ
4	श्री पारस नाथ गुप्ता राज्य सूचना आयुक्त	आफिस नं०-0522-2724934 मो० नं०-09415048567	173, पटेलनगर, इन्दिरा नगर, सेक्टर-8, लखनऊ
5	श्री स्वदेश कुमार राज्य सूचना आयुक्त	आफिस नं०-0522-2724935 मो० नं०-09415010798	सरस्वती भवन आई-7, विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ
6	श्री सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी राज्य सूचना आयुक्त	आफिस नं०-0522-2724937 मो० नं०-08577079999	390/29/5 न्यू मॉडल कालोनी, रुस्तम नगर, लखनऊ
7	श्री हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त	आफिस नं०-0522-2724938 मो० नं०-9335739397	आर/129, नेहरू इन्कलेव, गोमती नगर, लखनऊ
8	श्री राजकेश्वर सिंह राज्य सूचना आयुक्त	आफिस नं०-0522-2724939	3/160, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
9	श्री गजेन्द्र यादव राज्य सूचना आयुक्त	आफिस नं०-0522-2724940	वी०वी०आई०पी० गेस्ट हाउस, लखनऊ
10	श्री राघवेन्द्र विक्रम सिंह, आई०ए०एस० (सचिव)	आफिस नं०-0522-2724941 मो०-9415331070	19/295, इंदिरा नगर, लखनऊ
11	श्री आफताब आलम (एच.जे.एस.) विधि अधिकारी/रजिस्ट्रार	आफिस नं०-0522-2724942 मो० नं०-9455114530	36, बटलर पैलेस, लखनऊ

12	श्री जितेन्द्र मिश्रा, (उ०प्र० न्यायिक सेवा) संयुक्त रजिस्ट्रार	आफिस नं०-0522-2724943	आर.एस.-160, नेहरू इन्क्लेव, लखनऊ
13	उप-रजिस्ट्रार	आफिस नं०-0522-2724944	रिक्त
14	श्री तेजस्कर पाण्डेय (उप-सचिव)	आफिस नं०-0522-2724945 मो० नं०-9415021746	7/9 डालीबाग ऑफिसर्स कालोनी, लखनऊ
15	श्री जावेद असलम वित्त एवं लेखा अधिकारी	आफिस नं०-0522-2724946 मो० नं०-9415028117	529ए/1412, पंतनगर, खुर्रम नगर, लखनऊ
16	श्री मोहम्मद रज़ी खान, शोध अधिकारी	मो०नं० 9559170874	24-संजय विहार कालोनी सेक्टर-11, विकास नगर, लखनऊ
17	श्री अवधेश नरायन मिश्रा शोध अधिकारी	मो०नं० 9415024859	ए-1/33, सेक्टर- आई, जानकीपुरम्, लखनऊ।

(10)– प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन जिसमें उसके नियमों में उल्लिखित प्रतिकर की प्रणाली भी निहित है :-

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानानुसार

- 1- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष होगी।
- 2- राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें मुख्य सचिव के समकक्ष होगी।

मा० श्री जावेद उस्मानी, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को प्राप्त होने वाली पेंशन की धनराशि नियमानुसार घटाकर वेतन का भुगतान किया जाता है।

(ख) आयोग में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान निम्न प्रकार है:-

क.सं.	पदनाम	वेतनमान
1	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	90,000 नियत(असंशोधित)
2	राज्य सूचना आयुक्त	रु 2,25,000 नियत
3	सचिव	रु 1,44,200
4	विधि अधिकारी पदेन रजिस्ट्रार	51500-1230-52230-1320-63070
5	संयुक्त रजिस्ट्रार	39530-54010
6	उप-रजिस्ट्रार	27700-44770
7	वित्त एवं लेखाधिकारी	रु 56,100
8	उप सचिव	रु 78,800
9	शोध अधिकारी	रु 56,100
10	प्रशासनिक अधिकारी	44900.00
11	प्रधान सहायक	35400.00
12	वरिष्ठ सहायक	29200.00
13	कनिष्ठ सहायक	21700.00
14	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	44900.00
15	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	35400.00
16	आशुलिपिक	29200.00
17	लेखाकार	35400.00
18	सहायक लेखाकार	29200.00

19	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	35400.00
20	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-2	44900.00
21	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-सी	35400.00
22	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-बी	29200.00
23	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-ए	25500.00
24	उर्दू अनुवादक	21700.00
25	वाहन चालक विशेष श्रेणी	44900.00
26	वाहन चालक ग्रेड-1	35400.00
27	वाहन चालक ग्रेड-2	29200.00
28	वाहन चालक ग्रेड-3	25500.00
29	वाहन चालक ग्रेड-4	19900.00
30	जमादार/अर्दली	18000.00
31	दफ्तरी	18000.00
32	अनुसेवक	18000.00
33	फर्राश	18000.00
34	सफाई कर्मी	18000.00
35	बण्डल लिफ्टर	18000.00

(ग) सभी योजनाओं में प्रस्तावित खर्च एवं खर्चों पर रिपोर्ट की विशेषतायें प्रदर्शित करते हुए, अपने हर अभिकरण को प्रदान किया गया बजट:-

उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृतियां

क्रम संख्या	मानक मद	शासन स्तर से आवंटित धनराशि
1	01-वेतन	23400000
2	02-मजदूरी	3500000
3	03-मंहगाई भत्ता	34200000
4	04 यात्रा व्यय	700000
5	06-अन्य भत्ते	3500000
6	07-मानदेय	50000
7	08-कार्यालय व्यय	8500000
8	09 विद्युत व्यय	6800000
9	11-लेखन सामग्री	900000
10	12-कार्यालय फर्नीचर	500000
11	13-टेलीफोन	600000
	14-मोटर गाड़ी का क्रय	4000000
12	15-पेट्रोल/गाड़ियों का अनुरक्षण	3300000
13	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	16800000

(12)

14	17—किराया उपशुल्क और कर	500000
15	18—प्रकाशन	50000
16	19—विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन व्यय	200000
17	22—आतिथ्य व्यय	100000
18	44—प्रशिक्षण हेतु व्यय	1000000
19	45—अवकाश यात्रा	3300000
20	46 — कम्प्यूटर क्रय	1100000
21	47—कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं स्टेशनरी क्रय	1300000
22	49—चिकित्सा व्यय	500000
	योग	114800000

अनुदान कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें प्रदान की गयी धनराशि एवं इन कार्यक्रमों के लाभकारियों के विवरण शामिल है:—

आयोग ऐसा कोई उपदान कार्यक्रम नहीं चला रहा है। अतः उपदान कार्यक्रम के लाभार्थियों के बारे में सूचना ज्ञापित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(13) आयोग द्वारा दी गयी अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों एवं प्राधिकारियों, प्राप्तिकर्ताओं की विशेषतायें एवं विवरण:—

आयोग द्वारा रियायतें/परमिट से संबंधित कोई कार्य व्यवहृत नहीं किया जाता है।

(14) इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में विवरण, जो आयोग को उपलब्ध हैं अथवा आयोग द्वारा धारित हैं :—

आयोग की वेबसाइट www.upic.gov.in है। आयोग एवं आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के बारे में सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध है जिन्हें देखा जा सकता है। आयोग की वेबसाइट पर आने वाले प्रत्येक सप्ताह की वाद-सूची भी देखी जा

सकती है। आयोग द्वारा जिन प्रकरणों में दण्ड अधिरोपित किया गया है, उनकी सूची भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसके अन्तर्गत किसी पुस्तक कक्ष या वाचन कक्ष के वह काम के घंटे शामिल है यदि वह पुस्तकालय जन उपयोग के लिए सुरक्षित रूप में है:—

सूचना अभिप्राप्त कराने के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें छपवायी गयी थी, जो नागरिकों के बीच वितरित की गयी :-

(क) 'गुटका' - सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के संबंध में मार्ग दर्शन हेतु।

(ख) 'प्रश्नोत्तरी' - अधिनियम के संबंध में उठने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी।

(ग) 'क्या करें क्या न करें' - इसके द्वारा जनसूचना अधिकारी व नागरिकों को अतिआवश्यक जानकारियाँ प्राप्त होती है।

(घ) 'पैम्फ्लेट' - दो पृष्ठों का एक पैम्फ्लेट आम जनता में अधिनियम के सम्बन्ध में जानकारी प्रसारित करने के लिए छपवाकर बटवाये गये है। उपर्युक्त के अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाएं नागरिकों को अभिप्राप्त कराने के लिए सभी सुनवायी कक्षों के बाहर तथा मुख्य स्वागती कक्ष में नोटिस बोर्ड लगाये गये है। जिन पर प्रतिदिन की वाद सूची के अतिरिक्त आयोग से सम्बन्धित अन्य प्रकार की सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाती है।

(16) जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम पद नाम तथा अन्य विवरण :-

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

क्रमांक	नाम	पदनाम	अन्य अभ्युक्ति
1	श्री तेजस्कर पाण्डेय, जन सूचना अधिकारी	उप-सचिव	आर.टी.आई. भवन, 7/7ए, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। फोन नं0 0522-2724945
2	श्री राघवेन्द्र विक्रम सिंह, सचिव, प्रथम अपीलीय अधिकारी	सचिव	आर.टी.आई. भवन, 7/7ए, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

			फोन नं0 0522-2724941
--	--	--	----------------------

- (17) अन्य ऐसी सूचना, जो विहित हो, को प्रकाशित किया जायेगा और इन प्रकाशनों को हर साल अद्यतन किया जायेगा।

.....

